मु.नं.–08 / 2022 GCMS ID-2022/35 ता.रजु–03.03.2022

न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर मुकाम करौली

पीठासीन अधिकारी श्री अंकित कुमार सिंह, आई.ए.एस.

लक्ष्मीचंद मीना पुत्र श्री रामनाथ मीना ग्राम किराडी पटवार हल्का हाड़ौती तहसील सपोटरा जिला करौली (राज.) – अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सपोटरा – प्रत्यर्थी

अपील अंतर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005

निर्णय दिनांक–05.05.2022

1. प्रशासनिक कार्यों एवं कानून–व्यवस्था में व्यस्त रहने के कारण अपील की सूनवाई किये जाने में विलम्ब हुआ।
2. अपीलार्थी उपस्थित नहीं।
3. प्रतिनिधि प्रत्यर्थी उपस्थित।
4. अपीलाण्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रत्यर्थी को आवेदन पत्र प्रेषित कर खसरा नं. 242/1 से संबंधित 12 बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी जिसे प्रत्यर्थी द्वारा आंशिक रूप से अपीलार्थी को उपलब्ध करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह प्रथम अपील पेश की है।
5. प्रत्यर्थी ने पत्रांक रीडर/2022/360 दिनांक 11.04.2022 से अवगत करवाया है कि अपीलार्थी द्वारा 12 बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी जिनमें से पटवारी हल्का हाड़ौती से संबंधित सूचना आवेदक को भिजवा दी। कार्यालय से संबंधित सूचना उपलब्ध नहीं होने से उनको दी गई सूचना में अवगत करवा दिया गया अंत में अपील अपीलार्थी खारिज फरमाने का निवेदन किया है।
6. पत्रावली का अवलोकन किया गया।
7. अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में प्रत्यर्थी द्वारा पटवार हल्का हाड़ौती से संबंधित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध करवा दी गई है। कार्यालय संबंधी सूचना उपलब्ध नहीं होने के कारण अपने विनिश्चय से अपीलार्थी को अवगत करवा दिया गया है। अतः हम अपील अपीलाण्ट को खारिज किया जाना उचित समझते हैं।
8. अस्तु अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है।
9. निर्णय की प्रमाणित प्रति उभय पक्षकारान को प्रेषित हो।
10. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
11. निर्णय आज दिनांक 05.05.2022 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अंकित कुमार सिंह)
प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर
करौली